

प्रतिवेदन (संशोधित)

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में थला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। (4.275 है०) (लम्बाई 15.00 किमी.)

उपरोक्त मोटर मार्ग का शासनादेश सं. 1542/III(2)/09-22(मु.मं.घो.)/2009 दिनांक 31.03.2010 के द्वारा 15.00 किमी. लम्बाई हेतु रु. 525.00 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह मोटर मार्ग थला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग (पी.एम.जी.एस.वाई.) द्वारा निर्मित 11.00 किमी. के बाद शेष 15.00 किमी. का निर्माण इस खण्ड द्वारा किया जाना है। इस मार्ग की मांग स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार की जा रही है तथा इस मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर पूर्व में स्वीकृति हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे। उनके द्वारा प्रस्तावों में कतिपय बिन्दुओं में आपत्ति लगायी गयी थी व प्रभावित भूमि के डिजिटल मैप भी तैयार कर 90 दिन के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु लिखा गया था। त्रुटियों का निराकरण एवं डिजिटल मैप 90 दिन के अन्तर्गत तैयार न होने के कारण उनके पत्रांक 11/मिस/बन्द/1146/यू. पी.सी./11/1308 दिनांक 12.02.2013 के द्वारा बन्द कर दिये गये थे।

रानीखेत

पुनः संयुक्त निरीक्षण कराकर इस खण्ड द्वारा संशोधित प्रस्ताव गठित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिसूची अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत